

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(ग)(1) अलेसे- I/1298

दिनांक: 20.11.2020

आदेश संख्या: 220/2020-21

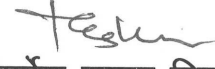
राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 की रिक्तियों पर विचार हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.09.2020 द्वारा पूर्व वर्षों के आस्थगित प्रकरणों के परीक्षण पश्चात् समिति की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I पद के पे मेट्रिक्स लेवल L-12 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	मेरिट संख्या	नाम (सर्वश्री)	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ष	पदोन्नति की दिनांक
1	5239	614/86	लक्ष्मण राम कृष्णियाँ (सेवानिवृत्त)		03.12.59	2016-17	01.04.2016
2	4696	24/88	प्रकाश कुमार शर्मा		01.07.65	2018-19	01.04.2018
3	9387	76/2011	मदन लाल शर्मा		02.12.84	2018-19	01.04.2018
4	9486	181/2011	लोकेन्द्र सिंह		07.09.70	2018-19	01.04.2018
5	2583	128/88	हमीद अली कुरैशी		25.06.65	2018-19	01.04.2018
6	5406	165/88	सतीश कुमार शर्मा स्वै. सेवानिवृत्त दि. 15.06.2018		18.07.62	2018-19	01.04.2018
7	5573	178/88	उदय सिंह		15.05.81	2018-19	01.04.2018
8	1736	265/88	राजकुमार यादव		04.12.63	2018-19	01.04.2018

सेवानिवृत्ति स्वै. सेवानिवृत्ति के प्रकरणों के अतिरिक्त उपरोक्त सभी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II उक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार (सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड I) क्रमोन्नत/कमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) यथावत रहेगी।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(10) वित्त/राजस्व/2018, दिनांक 18.11.2020 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(ग)(1) अलेसे- I/1298

दिनांक: 20.11.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
4. श्री सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. निजी सचिव निदेशक।
7. अलेसे-II/डीपीसी शाखा/ए.सी.आर. शाखा/जांच शाखा/गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)